# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 28, 2018 (BHADRA 6, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 28th August, 2018

**No. 27-HLA of 2018/54/18910.—** The Factories (Haryana Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 27- HLA of 2018**

**THE FACTORIES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2018**

**A**

**BILL**

*further to amend the Factories Act, 1948, in its application to the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Factories (Haryana Amendment) Act, 2018. Short title.

2. In clause (m) of section (2) of the Factories Act, 1948 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 2 of Central Act 63 of 1948.

   (i) in sub-clause (i), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted; and

   (ii) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

3. In clause (iv) of sub-section (3) of section 65 of the principal Act, for the words and sign "seventy-five", the words "one hundred and fifteen" shall be substituted. Amendment of section 65 of Central Act 63 of 1948.

4. In clause (b) of sub-section (1) of section 66 of the principal Act, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:- Amendment of section 66 of Central Act 63 of 1948.

   "Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of any factory which provides such adequate safety and security measures or safeguards, as may be prescribed apply for such exemption, allow the women to work in factory between the hours of 7:00 PM to 6:00 AM.".

Amendment of section 85 of Central Act 63 of 1948.

5. In clause (i) of sub-section (1) of section 85 of the principal Act, for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall respectively be substituted.

Amendment of section 105 of Central Act 63 of 1948.

6. For sub-section (1) of section 105 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint by an Inspector with the previous sanction in writing of the Chief Inspector.".

Insertion of section 106B in Central Act 63 of 1948.

7. After section 106A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"106B. Compounding of offences.- (1) The offences specified in the Fourth Schedule, if committed for the first time, may be compounded before the institution of the prosecution by such officer and for such amount, as may be notified by the State Government in the Official Gazette. The amount of fine shall not exceed the fine prescribed under section 92.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the occupier in respect of such offence.".

Addition of Fourth Schedule to Central Act 63 of 1948.

8. After the Third Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be added, namely:-

"THE FOURTH SCHEDULE

*(see section 106B)*

List of compoundable offences

| **Serial Number** | **Section and rules framed thereunder and order issued thereunder** | **Nature of offence** |
|---|---|---|
| 1 | section 11 - Cleanliness | Not maintaining cleanliness as per the provisions. |
| 2 | section 18 - Drinking water | Not providing and maintaining arrangements for drinking water as per the provisions. |
| 3 | section 19 - Latrines and urinals | Not providing latrine and urinal accommodation as per the provisions. |
| 4 | section 20 - Spittoons | (a) Not providing the spittoons as per the provisions.<br>(b) Spitting in contravention of sub-section (3) of section 20. |
| 5 | section 42 - Washing facilities | Not providing and maintaining washing facilities as per the provisions. |
| 6 | section 43 - Facilities for storing and drying clothing | Not providing facilities as per the provisions. |
| 7 | section 44 - Facilities for sitting | Not providing facilities as per the provisions. |
| 8 | sub-sections (1), (2) and (3) of section 45 - First aid appliances | Not providing and maintaining first-aid appliances as per the provisions. |
| 9 | section 46 - Canteens | Not providing and maintaining canteen as per the provisions. |
| 10 | section 47 - Shelters, rest rooms and lunch rooms | Not providing and maintaining shelters, rest rooms and lunch rooms as per the provisions. |
| 11 | section 48 - Creches | Not providing and maintaining crèches as per the provisions. |
| 12 | sub-section (2) of section 53 - Compensatory holidays | Not displaying the notice and not maintaining the register for compensatory holiday. |
| 13 | sub-section (5) of section 59 - Extra wages for overtime | Not maintaining the prescribed registers. |
| 14 | section 60 - Restriction on double employment | Requiring or allowing a worker a double employment on any day. |
| 15 | section 61 - Notice of periods of work for adults | Not complying with the provisions. |
| 16 | section 62 - Register of adult Workers | Not maintaining register as per the provisions. |
| 17 | section 63 - Hours of work to correspond with notice under section 61 | Not complying with the provisions. |
| 18 | section 79 - Annual leave with wages | Not complying with the provisions. |
| 19 | section 80 - Wages during leave period | Not complying with the provisions. |
| 20 | section 81 - Payment in advance in certain cases | Not complying with the provisions. |
| 21 | section 83 - Power to make rules | Not maintaining registers as per rules and not complying with the provisions. |
| 22 | section 84 - Power to exempt factories | Not complying with the conditions specified in the exempting order. |

| **Serial Number** | **Section and rules framed thereunder and order issued thereunder** | **Nature of offence** |
|---|---|---|
| 23 | section 93 - Liability of owner of premises in certain circumstances | Not complying with the provisions contained in sub-section (1) and clauses (i) and (vi) of sub-section (3). |
| 24 | section 97 - Offences by workers | Not complying with the provisions. |
| 25 | section 108 - Display of notices | Not complying with the provisions. |
| 26 | section 110 - Returns | Not complying with the provisions. |
| 27 | section 111A - Right of workers, etc. | Denial of rights of workers. |
| 28 | section 114 - No charge for facilities and conveniences | Demanding charge from worker for providing any facility.”. |

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Factories Act was enacted in 1948. Its main objective is to ensure the adequate Safety, Health and Welfare of the workers employed in factories.

In the present scenario of Haryana, small scale industries employing less than 20 numbers of workers engaged in manufacturing process with the aid of power (electric power) and 40 numbers of workers without the aid of power, feel uncomfortable to fulfil and comply with the provisions of the Factories Act, 1948. These small scale industries are not able to work efficiently due to various constraints such as labour laws, finance, skilled man power technology etc. In order to release the burden of these small scale industries, the factories having less number of workers may be exempted from the preview of the Factories Act, 1948. It is proposed that the factory having 20 numbers of workers with aid of power and 40 numbers of workers without the aid of power may be exempted from the definition of Factories Act, 1948. For this purpose the amendment in the definition of the factory under sections 2(m)(i) & 2(m)(ii) of the Factories Act, 1948 are required.

The orders for supplying the goods are time bound and the factories are to supply the required goods well before the targeted time and it is the need of the hour to increase the overtime working hours of the factories so that the factories may achieve their targets and fulfil the orders within specified time frame and therefore it is proposed to amend the clause (iv) of sub-section 3 of section 65 of the Factories Act, 1948.

The Section 66(1) (b) specify the restrictions on employment of women workers during night shift in the factories. It is discriminatory to women on sole ground of sex and interfered with the fundamental rights of the women to carry out their fundamental right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Therefore,In the light of "Right of Equality" provided by the Constitution of India, it is proposed to amend the clause (b) of sub-section 1 of section 66 of the Factories Act, 1948 to allow employ women workers in the factories during night shift i.e. 7.00 P.M. to 6.00 A.M.

For the cognizance of any offence punishable under the Act, the Occupier or Manager of the factory has to appear before the Court of law for the offences mentioned in the complaint. On pleading guilty, Court imposes penalty on the facts and circumstances of the case. New factories which are not aware of the bylaws of Factories Act, 1948 and Rules framed thereunder got penalized under section 92 of Factories Act, 1948. Under this section the provision of imprisonment for a term which may be extended upto two years or with a fine which may be extended to rupees one lac or with both and if a contravention is continued after conviction the fine may be extended to one thousand rupees for each day on which the contravention of the offence is so continued. The court proceedings are time consuming and expensive. In order to reduce the litigations and to provide the relief to the factories who have committed the offence for the first time in certain provisions may be given opportunity for compounding their offences at Department level instead of going to Court. For these purposes, it is proposed to compound in respect of offences specified in the Fourth Schedule to the bill which relates to Compounding of certain offences, amendments / insertion under section 105 & 106B of the Factories Act, 1948 are required.

Thus in the view of above and to achieve the object of ease of doing business it has become essential to carry out the above necessary amendments.

NAYAB SINGH SAINI,
Minister of Labour & Employment, Haryana.

---

Chandigarh:
The 28th August, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2018 का विधेयक संख्या 27-एच०एल०ए०**

**कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018**

कारखाना अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम कारखाना (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 2 का संशोधन।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ड) में,—

(i) उप—खण्ड (i) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर, ''बीस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उप—खण्ड (ii) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''चालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 65 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप—धारा (3) के खण्ड (iv) में, ''पचहत्तर'' शब्द के स्थान पर, ''एक सौ पन्द्रह'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 66 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 66 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई कारखाना जो ऐसे पर्याप्त बचाव तथा सुरक्षा उपायों या रक्षापायों, जो विहित किए जाएं, को उपलब्ध करवाता है, ऐसी छूट के लिए आवेदन करता है, के संबंध में सायं 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच के घण्टों के लिए कारखानों में महिलाओं को कार्य करने के लिए अनुमत कर सकती है ।''।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 85 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 85 की उप—धारा (1) के खण्ड (i) में, ''दस'' तथा ''बीस'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''बीस'' तथा ''चालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 105 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 105 की उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1) कोई भी न्यायालय, मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्व स्वीकृति से निरीक्षक द्वारा शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।''।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 में धारा 106 ख का रखा जाना ।

7. मूल अधिनियम की धारा 106 क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात्:—

''106 ख अपराधों का प्रशमन—(1) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध, यदि प्रथम बार किए गए हों, ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए/की जाए, अभियोजन के संस्थित करने से पूर्व प्रशमित किए जा सकते हैं। जुर्माने की राशि धारा 92 के अधीन विहित जुर्माने से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां उप—धारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में अधिष्ठाता के विरूद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी ।''।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 में चतुर्थ अनुसूची का जोड़ा जाना।

8. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

''चतुर्थ अनुसूची

*(देखिए धारा 106 ख)*

प्रशमनीय अपराधों की सूची

| क्रम संख्या | धारा तथा इसके अधीन बनाए नियम तथा इसके अधीन जारी किए गए आदेश | अपराध का स्वरूप |
|---|---|---|
| 1. | धारा 11– स्वच्छता | उपबन्धों के अनुसार स्वच्छता न बनाए रखना । |
| 2. | धारा 18–पेयजल | उपबन्धों के अनुसार पेयजल के लिए व्यवस्थाओं को उपलब्ध तथा रखरखाव न करवाना । |
| 3. | धारा 19–शौचालय तथा मूत्रालय | उपबन्धों के अनुसार शौचालय तथा मूत्रालय के लिए स्थान उपलब्ध न करवाना । |
| 4. | धारा 20–थूकदान | (क) उपबन्धों के अनुसार थूकदान उपलब्ध नहीं करवाना ।<br>(ख) धारा 20 की उप–धारा (3) की उल्लंघना करते हुए थूकना । |
| 5. | धारा 42–धुलाई की सुविधाएं | उपबन्धों के अनुसार धुलाई की सुविधाओं को उपलब्ध तथा रख–रखाव न करवाना । |
| 6. | धारा 43– कपड़ों के भण्डारण तथा सुखाने की सुविधाएं | उपबन्धों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध न करवाना । |
| 7. | धारा 44–बैठने के लिए सुविधाएं | उपबन्धों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध न करवाना । |
| 8. | धारा 45 की उप–धारा (1), (2) और (3)–प्राथमिक उपचार उपकरण | उपबन्धों के अनुसार प्राथमिक उपचार उपकरणों को उपलब्ध तथा रखरखाव न करवाना । |
| 9. | धारा 46–कैंटीन | उपबन्धों के अनुसार कैंटीन को उपलब्ध तथा रखरखाव न करवाना । |
| 10. | धारा 47–आश्रय, विश्राम कक्ष तथा आहार कक्ष | उपबन्धों के अनुसार आश्रय, विश्राम कक्ष तथा आहार कक्ष को उपलब्ध तथा रखरखाव न करवाना । |
| 11. | धारा 48–शिशु गृह | उपबन्धों के अनुसार शिशु गृह को उपलब्ध तथा रखरखाव न करवाना । |
| 12. | धारा 50 की उप–धारा (2)–प्रतिपूर्ति अवकाश | प्रतिपूर्ति अवकाश के लिए नोटिस प्रदर्शित न करना और रजिस्टर का रख–रखाव न करना । |
| 13. | धारा 59 की उप–धारा (5) अधिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी | विहित रजिस्टरों का रखरखाव न करना । |
| 14. | धारा 60–दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध | किसी भी दिन कर्मकार से दोहरे रोजगार के लिए अपेक्षा करना या अनुमत करना । |
| 15. | धारा 61–व्यस्कों के लिए कार्य अवधियों की सूचना | उपबन्धों की अनुपालना न करना । |
| 16. | धारा 62–व्यस्क कर्मकारों का रजिस्टर | उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर न रखना । |
| 17. | धारा 63, धारा 61 के अधीन नोटिस के अनुरूप काम के घण्टे | उपबन्धों की अनुपालना न करना । |
| 18. | धारा 79– मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश | उपबन्धों की अनुपालना न करना । |
| 19. | धारा 80–अवकाश अवधि के दौरान मजदूरी | उपबन्धों की अनुपालना न करना । |

| क्रम संख्या | धारा तथा इसके अधीन बनाए नियम तथा इसके अधीन जारी किए गए आदेश | अपराध का स्वरूप |
|---|---|---|
| 20. | धारा 81– कतिपय मामलों में अग्रिम भुगतान | उपबन्धों की अनुपालना न करना। |
| 21. | धारा 83–नियम बनाने की शक्ति | नियमों के अनुसार रजिस्टर न रखना तथा उपबन्धों की अनुपालना न करना। |
| 22. | धारा 84–कारखानों को छूट देने की शक्ति | छूट आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना न करना । |
| 23. | धारा 93–कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व | उप–धारा (1) तथा उप–धारा (3) के खण्ड (i) और (vi) में दिए गए उपबंधों की अनुपालना न करना । |
| 24. | धारा 97–कर्मकारों द्वारा अपराध | उपबन्धों की अनुपालना न करना। |
| 25. | धारा 108–नोटिसों का प्रदर्शन | उपबन्धों की अनुपालना न करना। |
| 26. | धारा 110–विवरणियां | उपबन्धों की अनुपालना न करना। |
| 27. | धारा 111 अ–कर्मकारों के अधिकार इत्यादि | कर्मकारों के अधिकारों का प्रत्याख्यान |
| 28. | धारा 114–सुविधाओं तथा सहुलियतों के लिए कोई भी प्रभार न होना | कोई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कर्मकारों से प्रभार की मांग करना ।''। |

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कारखाना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था, इसके मुख्य उद्देश्य कारखानों में नियोजित कर्मकारों को पर्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है।

हरियाणा के वर्तमान दृश्यलेख में, लघु उद्योगों में विद्युत की सहायता (इलैक्ट्रिक विद्युत) से विनिर्माण प्रक्रिया में लगाए गए कर्मकारों की संख्या 20 से कम तथा विद्युत की सहायता के बिना कर्मकारों की संख्या 40 से कम का नियोजन कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों को पूरा करने तथा अनुपालन करने में असुविधाजनक है। ये लघु उद्योग विभिन्न प्रतिबन्धों जैसे कि श्रम कानूनों वित्त निपुण मानव शक्ति प्रोद्यौगिकी इत्यादि के कारण दक्ष रूप से कार्य करने के योग्य नहीं हैं। इन लघु उद्योगों को भारमुक्त करने के उद्देश्य से कर्मकारों की कम संख्या रखने वाले कारखानों को कारखाना अधिनियम, 1948 के पूर्वदर्शन से छूट दी जा सकती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि विद्युत की सहायता से 20 कर्मकारों की संख्या तथा विद्युत की सहायता के बिना 40 कर्मकारों की संख्या रखने वाले कारखाने को कारखाना अधिनियत 1948 की परिभाषा से छूट प्रदान की जाए। इस प्रयोजन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(ड) (i)तथा 2(ड) (ii) में कारखाने की परिभाषा में संशोधन करना आवश्यक है।

माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश समयबद्ध है तथा लक्षित समय से ठीक पहले कारखानों में अपेक्षित माल की आपूर्ति करना अपेक्षित है तथा कारखानों के अधिकसमय कार्य घण्टों में बढ़ोतरी करना समय की आवश्यकता है ताकि कारखाने अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आदेशों को पूरा कर सकें तथा इसलिए कारखाना अधनियिम, 1948 की धारा 65 की उप धारा 3 के खण्ड (iv) में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

धारा 66 (1) (ब) कारखानों में रात्रि पाली के दौरान महिला श्रमिकों के रोजगाार पर प्रतिबंध निर्दिष्ट करती है। यह लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण है और उनकी किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार करने के मौलिक अधिकारों से हस्तक्षेप है। इसलिए, भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई ''समानता का अधिकार'' की रोशनी में महिलाओं को रात्रि पाली के दौरान यानि सायंः 7 बजे से प्रातः 6 बजे के दौरान कारखानों में काम करने की अनुमति देने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ब) में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संज्ञान के लिए कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक को शिकायत में वर्णित अपराध के लिए विधि न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ता है। दोषी की वकालत पर न्यायालय मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर शासित अधिरोपित करता है। नए कारखाने जो कारखाना अधिनियम, 1948 की उपविधियों तथा इसके अधीन बनवायें गए नियमों के जानकार नहीं हैं उन्हें कारखाना अधनियम, 1948 की धारा 92 के अधीन दण्डित किया जाता है। इस धारा के अधीन कारावास की अवधि का उपबन्ध जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित हो को न्यायालय में जाने की बजाए कुछ प्रावधानों में प्रथम बार किये गये अपराध के लिए विभागीय स्तर पर उनके अपराधों के प्रशमन के लिए अवसर दिया जा सकता है। इन प्रयोजनों के लिए चौथी सूची में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में उन प्रावधानों के प्रशमन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 105 तथा 106 ख में संशोधन /प्रतिष्टि करना प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत तथा कारोबार करने की सुगमता के उद्देश्य से इसे प्राप्त करने के लिए उपरोक्त आवश्यक संशोधन करने अनिवार्य हो गए हैं।

नायब सिंह सैनी,
श्रम एवं रोजगार मंत्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़: आर० के० नांदल,
दिनांक 28 अगस्त, 2018. सचिव।